पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:– 298/2025

1. कुलदीप सिंह पुत्र जीतसिंह जाति बाजीगर निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. परमजीत पुत्री जीतसिंह पत्नी हरबन्स सिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कमला (सुखविन्द्र कौर) पुत्री जीत सिंह पत्नी अमरसिंह जाति बाजीगर निवासी गंधेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. आकाशदीप सिह
4. अर्शप्रीत कौर
5. हरप्रीत कौर

पि0 बक्शीश सिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर। प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 23/01/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– चक नं0 12 सीडीआर के खाता सं0 43/39 में दर्ज 0.468 है0 आराजी के वादी को खातेदार घोषित किया जाता है व चक नं0 12 सीडीआर के खाता सं0 43/39 में से कमला, गुरदेव कौर, जसविन्द्र, परमजीत का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।